

## जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं० 01, दिनांक -11.01.2021

### थाना आटा क्षेत्र के चमारी जंगल में हुई राजगीर मिस्त्री की हत्या की घटना से सम्बन्धित अभि० नीरज कुशवाहा व मोहित कुशवाहा मय आला कत्ल व हत्या में प्रयुक्त मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जालौन के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कालपी के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 07.01.2021 को चमारी जंगल थाना आटा में घटित राजगीर मिस्त्री की हत्या के सम्बन्ध में घटना के अनावरण हेतु व अभि०गणों की गिरफ्तारी हेतु थाना आटा पुलिस, एसओजी, सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था ।

दिनांक 10.01.2021 को पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में थाना आटा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 08/21 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगणों को जोल्हूपुर मोड के कदौरा रोड रेलवे क्रासिंग से पहले डिवाइडर के पास मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया ।

#### घटना का विवरण-

दिनांक 07.01.2021 को वादी श्री कपिल कुमार पुत्र स्व० श्री जगदीश कुशवाहा निवासी ग्राम परौसा थाना कदौरा जनपद जालौन की तहरीरी सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 08/21 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात, वादी के पिता जगदीश कुशवाहा की रस्सी से गला कसकर हत्या कर देने व लाश को जंगल में छिपा देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था ।

पूछताछ में अभि० नीरज व मोहित ने बताया कि हमारे पिता जगदीश कुशवाहा शराब पीने के आदी थे तथा मेरी मां की व हम लोगो की मारपीट करते थे और घर से पैसे ले जाकर जुआं और शराब में खर्च करते थे तथा मेरे पिता जी घर से बाहर रहने लगे थे जहां उनके द्वारा एक महिला को रख लिया गया था मेरे पिता जी द्वारा हम लोगो को अक्सर जमीन और फूटी कौड़ी भी न देने की धमकी देते रहते थे एक बार मेरे पिता जी ने मेरी माता जी को बहुत मारा और उनके दोनो पैर तोड़ दिये थे उनकी इन हरकतो से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गये थे इसीलिए हम दोनो भाईयों ने यह प्लान बनाया कि 07.01.2021 को पिता जी जब मुकदमे की तारीख करने उई कलेक्ट्रेट जायेंगे तब उनका काम तमाम कर देंगे तय तारीख को जब पिता जी तारीख करने आये तब मोहित उन्हें अपनी मो०सा० में बैठा कर चमारी नाला के पास जंगल में लेकर आ गया जहां हम दोनो भाईयों ने मिल कर नायलॉन की रस्सी से गला घोट कर उनकी हत्या कर दी और शव को एक गढ़े में रख कर भाग गये थे ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1- नीरज कुशवाहा पुत्र स्व० जगदीश कुशवाहा नि० ग्राम परौसा थाना कदौरा जनपद जालौन
- 2- मोहित कुशवाहा पुत्र स्व० जगदीश कुशवाहा नि० ग्राम परौसा थाना कदौरा जनपद जालौन

#### बरामदगी का विवरण:-

- 1- घटना मे प्रयुक्त नायलॉन की रस्सी
- 2- 01 अदद मोटर साइकिल यू.पी. 75 -पी- 2098
- 3- 02 अदद मोबाइल फोन

#### घटना के अनावरण में सहयोग एवं गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह थाना आटा
- 2-निरीक्षक श्री प्रवीन कुमार प्रभारी एसओजी
- 3- उ०नि० श्री प्रदीप कुमार थाना आटा
- 4- उ०नि० श्री शीतला प्रसाद थाना आटा
- 5-उ०नि० श्री कुल भुषण सिंह एसओजी
- 6- हे०का० 80 निरंजन सिंह एस०ओ०जी०
- 7-हे०का० 200 श्रीराम प्रजापति एस०ओ०जी०
- 8-हे०का० 325 भूपेन्द्र सिंह एस०ओ०जी०
- 9-हे०का० 280 अश्वनी प्रताप एस०ओ०जी०

- 10- हे0का0 मनोज सोनकर सर्विलांस सेल
- 11- का0 1361 नीतू कुमार एस0ओ0जी0
- 12-का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एस0ओ0जी0
- 13-का01664 विनय प्रताप एस0ओ0जी0
- 14- का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल
- 15- का0 1036 गौरव बाजपेयी सर्विलांस सेल
- 16-का0 1080 करमवीर सिंह सर्विलांस सेल
- 17-चालक का0 पुनीत कुमार एस0ओ0जी0
- 18-हे0का0 अशोक कुमार थाना आटा
- 19-का0 1907 मोहित कुमार थाना आटा
- 20-का0 154 सचिन कुमार थाना आटा
- 21- आरक्षी चालक रहीस हुसैन थाना आटा